श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी/(सी०ई०ओ०)/जनसूचना अधिकारी
ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण
भूखण्ड सं०–1, नॉलिज पार्क–4
नोएडा सिटी, गौतमबुद्ध नगर, उ०प्र०

53728
29-7-22

विषयः जनसूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत जनसूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

1– ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण का गठन कौन–से वर्ष में हुआ? अवगत कराएं।

2– ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के गठन से पूर्व जिन व्यक्तियों की वहां पर खेती की भूमि थी तथा ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के गठन के बाद उन व्यक्तियों की खेती की भूमि को प्राधिकरण द्वारा अर्जित किया गया, ऐसी दशा में अर्जित भूमि के विरूद्ध 10 प्रतिशत आबादी भूखण्ड आपके द्वारा अर्जित की गयी भूमि के स्वामी को दिया जायेगा अथवा नहीं? स्पष्ट रूप से अवगत कराते हुए प्राधिकरण के नियम/विनियम की छायाप्रति भी उपलब्ध कराएं।

PIO land
1/8/22

3– ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा अर्जित की गयी भूमि के विरूद्ध जिन–जिन व्यक्तियों को 10 प्रतिशत आबादी भूखण्ड आवंटित किया गया है, ऐसे व्यक्तियों के नाम उनके अर्जित खसरा सं० तथा ग्राम के नाम सहित सूचित कराएं।

PIO– LAHD
R.T.I–20884
01/8/2022

4– ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा जिन व्यक्तियों की भूमि अर्जित की गयी है उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में पुश्तैनी किसान/व्यक्ति व गैर–पुश्तैनी किसान/व्यक्ति शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, इस सम्बन्ध में पुश्तैनी किसान/व्यक्ति व गैर–पुश्तैनी किसान/व्यक्ति की परिभाषा से भी अवगत कराएं तथा इस सम्बन्ध में प्राधिकरण के नियम/विनियम की छायाप्रति भी उपलब्ध कराएं।

5– ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा पुश्तैनी किसान/व्यक्तियों तथा गैर–पुश्तैनी किसान/व्यक्तियों को उनकी अर्जित भूमि के विरूद्ध आपके द्वारा उनको क्या–क्या सुविधाऐं (भूखण्ड/मुआवजा/अन्य सुविधाऐं) दी जा रही हैं। विस्तृत रूप से अवगत कराएं।

दिनांकः 27/7/2022

भवदीय
ANUJ KUMAR
(Advocate)
8941832668, 86305094

संलग्नकः–
1. रू० 10/– का पोस्टल आर्डर जिसका क्रमांक 56F 306607 है।

अनुज कुमार (एडवोकेट)
पता– 3, टीन शैड निकट पुराना
रजिस्ट्री ऑफिस, सिविल कोर्ट
मेरठ
मो०नं०– 8941832668